:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार न्योल

मुकदमा नम्बर 03/2022 राजस्व अपील दायर दिनांक 25.08.2022

श्री प्रदीपसिंह पिता नारायणसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती अमृतदेवी पत्नि स्व. शंकर चमार
2. कालीदेवी पिता शंकर चमार
3. श्री गोपाल पिता शंकर चमार
4. श्री छगनलाल पिता शंकर चमार
5. फल्गुन पिता शंकर चमार
6. श्री सोहनलाल पिता धुला चमार निवासीयान धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला–डूंगरपुर राजस्थान।

–रेस्पोडेण्टगण

अपील बनाराजगी मौजा धम्बोला के नामान्तरण संख्या 1697, दिनांक 03.06.2015, व नामान्तरण संख्या 2200 दिनांक 8,12.2021 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1 श्री बालगोविन्द पाटीदार अधिवक्ता अपीलांट।
2 श्री गौतमलाल रोत, अधिवक्ता रेस्पोंडेंटगण सं. 01 से 06।
3 पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 06/08/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के मालिकाना हक की क्रयशुदा भुमि मौजा धम्बोला खसरा नम्बर 3790, किरम आबादी, रकबा 0.03 बीघा अर्थात 2613.6 वर्गफिट होकर स्थित है। जिस पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। अपीलान्ट ने अपनी कब्जेशुदा अपीलग्रस्त भुमि पर लोन लेने को लेकर जमाबंदी की नकल निकलवायी तो पता चला कि अपीलांट की कयशुदा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलांट ने अपनी कयशुदा भूमि की राजस्व विभाग से पुरानी नकले व नामान्तरण की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या 3790 रकबा 0.06 बीघा में से 0.04 बीघा भूमि मुल खातेदार शंकर व सोहनलाल द्वारा दिनांक 12.06.2013 को आबादी में रूपान्तरित करवाई थी। उसके पश्चात उक्त आबादी में रूपातंरित भूमि खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.04 बीघा में से 0.03 बीचा आबादी भूमि मुल पुरूष शंकर व सोहनलाल द्वारा जरीये विकय पत्र दिनांक 25.06.2013 अपीलांट को बेच दी थी, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा न तो आबादी संपरिवर्तन आदेश के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया ना ही विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के कर ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या 3790 का बंटवारा कर जरिये नामान्तरण सं. 1697 आराजी संख्या 3790 की 0.03 बीघा भूमि शंकर व 0.03 बीघा सोहनलाल के नाम दर्ज कर दी। तत्पश्चात शंकर की मृत्यु के पश्चात् खोले गये ना.स. 2200 के जरिये शंकर की जगह रेस्पोंडेंट सं. 01 से 05 के नाम विरासती नामा.

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

खोल दिया। यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 को उक्त आराजी संख्या 3790 रकबा 0.03 बीघा भूमि अपीलान्ट को मुलपुरूष शंकर व उसके भाई सोहनलाल द्वारा बेचान की जानकारी होने के बावजुद नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में विवादग्रस्त आराजी को नाम मात्र के आधार पर किसी को रहन, बक्षीस, विक्रय एवं अन्य हस्तांतरण नहीं करें। हस्तांतरण किये जाने पर शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उपरोक्त मौजा धम्बोला के नामान्तरण संख्या 1697, दिनांक 03.06.2015, व नामान्तरण संख्या 2200 दिनांक 8.12.2021 को अपास्त कर मौजा धम्बोला खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.03 बीघा अर्थात 2613.6 वर्गफिट का अपीलान्ट के नाम नामान्तरण में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोंडेंटगण की ओर से अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकील रेस्पोंडेंटगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार बार कई अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब अपील बंद किया जाता है। तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा अपने जवाब में खसरा सं. 3790 का आवादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होना स्वीकार किया है तथा नामान्तरण संख्या 1697 आपसी सहमति से बंटवारा व नामा. सं. 2200 विरासत किये जाने से अनावश्यक कानूनी विवाद पैदा हो जायेगा, जो कि अपील आराजी नंबर 3790 से ही संबंधित है तथा दोनों खातेदारों के हिस्से में 0.03–0.03 बीघा बराबर रकबा आया है। अतः आराजी नंबर 3790 पर ही बंटवारे से पूर्व स्थिति में संयुक्त हिस्से में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। वकील अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट की ओर से संयुक्त रूप से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 3790 को बंटवारे से पूर्व की स्थिति में रखते हुए शेष आराजीयात को यथावत् रखा जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि खसरा नंबर 3790 का संपरिवर्तन दिनांक 12.06.2013 को कार्यालय तहसीलदार सीमलवाड़ा के आदेश क्रमांक राज/2013/639–43 दिनांक 12.06.2013 को हो गया था। इसके पश्चात् दिनांक 03.06.2015 को आवादी भूमि का विभाजन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कृषि भूमि पर ही लागू होता है। उक्त प्रकरण में आराजी नंबर 3790 आवादी भूमि का विभाजन कर दिया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, मनन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा तहसीलदार के जवाब के आधार पर मैं ग्राम धम्बोला आराजी नंबर 3790 को बंटवारे से पूर्व की स्थिति में दर्ज किया जाना उचित समझता हूँ।

कियात्मक आदेश

अतः तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि मौजा धम्बोला खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.06 बीघा अर्थात 0.0486 हैक्टेयर भूमि शंकर सोहनलाल पिता धूला चमार सा. देह. के नाम दर्ज करें। तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे। आदेश आज दिनांक 06/08/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner